



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक १३]

मंगळवार, मार्च १७, २०२६/फाल्गुन २६, शके १९४७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १७ मार्च, २०२६ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. XXIV OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1972, IN
IT'S APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २४ सन् २०२६।

महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२
में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन १९७२
का ५३।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है:—

१. (१) यह अधिनियम वन्य जीव (संरक्षण) (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

सन् १९७२ का
५३ सन् १९७२
का ५३ की धारा
९२ संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ की, धारा १२ के परंतुक के,—

(एक) खण्ड (क) में, “अनुसूची एक में” शब्द और अक्षरों के पश्चात्, “अनुसूची झ क के, भाग के मॅमल्स के अनुक्रमांक ४३ की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तेंदुआ को छोड़कर” शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किए जाएंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में, “ कोई अन्य वन्य प्राणी” शब्दों के पश्चात्, “अनुसूची एक के भाग क: मॅमल्स के अनुक्रमांक ४३ में की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तेंदुआ सम्मिलित” शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (सन् १९७२ का ५३) देश की पारिस्थितिक और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जंगली जानवरों के संरक्षण और उससे संबंधित या सहायक या अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करता है। यह अधिनियम महाराष्ट्र वन्य जीव (संरक्षण) नियम, २०१४ और संबंधित वन अधिनियमों और नियमों के साथ मिलकर वन्यजीवों के संरक्षण को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान करता है। सख्त संरक्षण और सुरक्षा उपायों के कारण, राज्य में वन्य प्राणियों, विशेष रूप से तेंदुओं की आबादी बढ़ रही है।

२. राज्य के कई वन क्षेत्रों में, तेंदुओं की जनसंख्या में उस क्षेत्र की वहन क्षमता से अधिक वृद्धि गई है। इससे अक्सर उनके बीच क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए लड़ाई होती है, जिसमें कमजोर तेंदुएँ क्षेत्र छोड़ देते हैं और जंगलों से सटे गैर-वनीय क्षेत्रों में चले जाते हैं।

चूँकि, तेंदुएँ अपनी आवास संबंधी आवश्यकताओं और भोजन की आवश्यकताओं के संबंध में अत्याधिक अनुकूलनीय समयानुवर्ती शिकारी होते हैं, इसलिए वे कृषि क्षेत्रों, बागानों और मानव बस्तियों के पास पाए जाते हैं।

तेंदुओं ने ऐसे क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बना लिया है और वे ऐसे गैर-वन क्षेत्रों में प्रजनन भी करते हैं। अन्य जंगली तेंदुआ परिवार के जानवरों के शावकों की तुलना में तेंदुआ शावकों के जीवित रहने की दर अधिक है। ऐसे तेंदुएँ पालतू पशुओं के लिए मानव आवास में आते हैं जो उनके लिए आसान शिकार होते हैं और मनुष्यों पर हमला भी करते हैं जिससे लगातार और बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष होते हैं।

३. उक्त अधिनियम की धारा १२ यह उपबंध करती है कि, मुख्य वन्यजीव वार्डन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से उक्त अधिनियम की अनुसूची एक में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के संबंध में शिकार (जिसमें पकड़ना और स्थानांतरण शामिल है) के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए अनुमति दे सकता है जिसमें किसी भी जंगली जानवर को वैकल्पिक उपयुक्त निवास स्थान से पर स्थानांतरित करना, वन्यजीवों का जनसंख्या प्रबंधन आदि शामिल है। तेंदुएँ को उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची एक में प्रविष्टि ४३ में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, मानव-तेंदुआ संघर्ष में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना उक्त धारा १२ के अधीन मुख्य वन्य जीव वार्डन कोई कदम नहीं उठा सकता है। यह अत्यधिक विनियमित बोझिल प्रक्रिया समय लेने वाली है और राज्य में मानव-तेंदुआ संघर्ष के प्रबंधन में तेंदुओं का प्रभावी वैज्ञानिक प्रबंधन और स्थानांतरण साथ ही साथ उनसे निपटने में देरी का कारण बन रही है।

इसलिए, सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ की धारा १२ में यथाचित संशोधन करना इष्टकर समझती है ताकि मुख्य वन्यजीव वार्डन राज्य सरकार की अनुमति से तेंदुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठा सकें, जिसमें स्थानांतरण और जनसंख्या प्रबंधन शामिल है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,

दिनांकित १६ मार्च, २०२६।

गणेश नाईक,

वन मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,

प्रभारी भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन:

मुंबई,

दिनांकित १७ मार्च, २०२६।

जितेंद्र भोळे,

सचिव-१,

महाराष्ट्र विधानसभा।